लिए हाल ही मे कोई कार्रवाई की है, और

(घ) ऐसी सस्थाओं के नाम क्या है और वे कहा-कहा पर है तथा सरकार ने सही सस्थाओ का चयन करने तथा उनके द्वारा किए गए काम का समुचित और सही मूल्याकन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए है और उनका क्या परिणाम निकला है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री भागेय गोवर्धन) : (क) वर्ष 1988–89 से 1990–91 की अवधि के दौरान 61 स्वयसेवी एजेसियो के विरुद्ध सहायता अनुदान के दुरुपयोग के सबंध मे शिकायते प्राप्त हुई है।

(ख) भारत सरकार ने प्रौढ़ शिक्षा से संबधित परियोजनाओ के कार्यान्वियन के लिए वर्ष 1987–88 से आज तक 646 स्वयंसेवी एजेसियो के लिए जारी किए गए अनुदान को अनुमोदित कर दिया है । उपरोक्त (क) मे उल्लिखित एजेसियो के सिवाय किसी और एजेसी के विरुद्ध निधियो के दुरुपयोग के संबंध मे शिकायतें प्राप्त नही हुई है ।

(ग) और (घ) उन स्वयंसेवी एजेसियो, जिनके विरूद्ध शिकायतें प्राप्त हुई है, के नाम पते व की गयी कार्रवाई के ब्यौरो से संबंधित विवरण सलग्न है । [देखिए परिशिष्ट 156, अनुपत्र स. 32]

स्वयसेवी एजेसियो को दी जाने वाली वित्तीय सहायता से सबंधित योजना मे सरकार से सहायता प्राप्त करने के लिए पात्रता के मानदण्डो को विस्तार मे निर्धारित किया गया है । योजना मे यह व्यवस्था की गयी है कि राज्य सरकार पात्र स्वयंसेवी एजेसियो के आवेदनो की विचारार्थ, सिफारिश का सकती है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार सीधे मदद प्रदान करने के लिए स्वयसेवी एजेसियो का भी पता लगा सकती है ।

हमने सभी राज्य सरकारो व संघ राज्य क्षेत्रो से, स्वयसेवी एजेसियो की परियोजनाओ की देखरेख करने अथवा जहा कही आवश्यक हो, वहा कार्यान्वयन से संबंधित रिपोर्ट भेजने के लिए अनुरोध किया है । जब कभी मूल्याकन की आवश्यकता महसूस की जाती है, तब भारत सरकार सयुक्त मूल्याकन दलों का गठन कर देती है जिसमे केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों व सघ राज्य क्षेत्रो के एक–एक प्रतिनिधि व एक बाहरी विशेषज्ञ शामिल होते हैं । इसके अतिरिक्त, कार्यक्रम का मूल्याकन बाह्य मूल्याकन एजेंसियो द्वारा भी किया जाता है ।

जब कभी भी शिकायते प्राप्त होती हैं, वैसे ही राज्य सरकार के माध्यम से या संयुक्त मूल्याकन दल का गठन करके शिकायतें की तत्काल जाच-पड़ताल शुरू कर दी जाती है और उस रिपोर्ट के आधार पर, आगे की आवश्यकता कार्रवाई शुरू की जाती है ।

Improvement in the conditions of Mental Hospital Sahadara

1295. SHRI CHATURANAN MISHRA Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether any representation was given to him by the Staff Union of Mental Hospital, Shahdara, Delhi when we visited the hospital on 20th December, 1990;

(b) if so, what are the main points contained therein; and

(c) what steps have been taken to meet their demands and to provide better facilities to the patients?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (PROF SHAKEELUR REHMAN): (a) to (c) The mater is being looked into in consultation with the Delhi Administration.